

## प्रेस नोट दिनांक 18.09.2020

1. दिनांक 17.09.20 को वादी श्री जयपाल सिंह पुत्र कन्हैया लाल नि० रोठा थाना बेहाल जनपद भिवाणी हरियाणा द्वारा सूचना दिया गया कि मो०सा० चालक सब्बू पुत्र मो० उस्मान नि० रौनाही थाना रौनाही अयोध्या अभि० द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 421/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 17.09.20 को वादी श्री राजेश कुमार वन रक्षक बीट मुबारकगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आशीष श्रीवास्तव पुत्र रामेश श्रीवास्तव नि० सिवार थाना रौनाही अयोध्या अभि० द्वारा बिना अनुमति के हरे 03 आम का पेड़ व 03 सुखा पेड़ काट कर उठा ले जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 423/20 धारा 4/10 वन संरक्षण अधि० व 3/28 टीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 17.09.20 को वादी श्री महेन्द्र प्रताप वम्र पुत्र धर्मराज वर्मा नि० विजयनपुर सजेहरा थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विनोद कुमार पुत्र रामबक्श पता अज्ञात अभि० द्वारा वादी का सटरिंग को रूपये मांगने पर गाली देना मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 373/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 17.09.20 को वादी उ०नि० श्री शैलेश त्रिवेदी थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामराज पुत्र राम किशन नि० घाट का पुरवा हंसराजपुर थाना मवई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 414/20 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।